भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2331

13 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बेघर लोगों के लिए स्थायी आवास समाधान

2331. श्रीमती रचना बनर्जीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए स्थायी आवास समाधान प्रदान करने हेतु उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त मुद्दे पर विचार करने के लिए कोई समर्पित कार्यक्रम या नीतियां हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार किस प्रकार शहरी मलिन बस्तियों में विशेष रूप से इन क्षेत्रों में पानी, स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं की कमी के मुद्दे को हल करने की योजना बना रही है; और

(घ) सरकार का मलिन बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास को सुकर बनाने और उनकी जीवन स्थितियों में किस प्रकार सुधार लाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने संबंधित शहरी क्षेत्रों में बेघर और स्लम में रहने वालों सहित अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है, जिसका उद्देश्य बेघर और स्लम वासियों सहित देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले सभी मौसम में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है।

पीएमएवाई-यू के तहत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 112.46 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और दिनांक 03.03.2025 तक 90.60 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/ शहरी क्षेत्रों में बेघर और स्लम में रहने वाले लोगों सहित लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में

बदलाव किए बिना स्वीकृत सभी आवासों को पूरा करने के लिए योजना अवधि को दिनांक 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रयगृहों को भी सहायता दी है, ताकि शहरी बेघर लोगों के लिए जल आपूर्ति, स्वच्छता, सुरक्षा और संरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं वाले स्थायी आश्रयगृहों तक उनकी पहुंच और उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) और (घ): पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और दिनांक 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से स्लमवासियों सहित 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाया, खरीदा और किराये पर लिया जा सके।

पीएमएवाई-यू 2.0 एक मांग आधारित योजना है। लाभार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की स्वीकृति के बाद, इन्हें केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता के अनुमोदन के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें बीएलसी घटक के तहत केंद्रीय सहायता की स्वीकृति के लिए पात्र लाभार्थियों की सूची अनुसार बनाए रखे जाने योग्य स्लम बस्तियों में पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव कर सकती हैं। इसी तरह, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एएचपी घटक के तहत सरकारी/ शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/सार्वजनिक भूमि पर बनाए रखे जाने योग्य बहुमंजिला स्लम बस्ती इमारतों के 'पुनर्विकास' या 'स्व-स्थाने सुधार' परियोजनाओं का प्रस्ताव भी दे सकती हैं। इस घटक के तहत, सभी बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ मौजूदा स्लम बस्तियों को बहुमंजिला इमारत के रूप में स्व-स्थाने पुनर्विकसित किया जा सकता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अन्य प्रमुख शहरी मिशनों जैसे स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) आदि का लाभ भी उठा सकते हैं ताकि बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रावधान के लिए सम्मिलित प्रयास किए जा सकें।

*****